3

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा समावेशी शिक्षा
एक नीतिगत विमर्श

सुमित गंगवार*
आकाश पटेल**

भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को अनुमोदित किया गया। इस नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है। प्रस्तुत शोध लेख का मुख्य उद्देश्य *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के उन बिंदुओं को विश्लेषित कर प्रस्तुत करना है, जिसमें समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालयी स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने से संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इसके लिए विषयवस्तु विश्लेषण पद्धति का उपयोग करते हुए निष्कर्ष के रूप में यह पाया गया कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* समावेशी शिक्षा के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए इसके गुणवत्ता संवर्धन हेतु अलग-अलग भागों तथा अनुभागों में विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से विद्यालयी स्तर पर समावेशी शिक्षा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा तक पहुँच को सुनिश्चित करने से संबंधी विभिन्न प्रभावी सुझावों को प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत लेख के अध्ययन उपरांत विद्यालयी स्तर पर कार्यरत सेवाकालीन अध्यापक तथा इस स्तर पर अध्यापन हेतु तैयार हो रहे सेवापूर्व अध्यापक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में समावेशी शिक्षा से जुड़े प्रावधानों एवं सुझावों से परिचित होकर विद्यालयी स्तर की शैक्षणिक प्रक्रियाओं में इनका अनुप्रयोग करके विद्यालय के परिवेश तथा कक्षागत अधिगम परिस्थिति को समावेशी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप परिमार्जित एवं परिष्कृत करने में सक्षम हो सकेंगे।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा को और जन-जन तक सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक स्तर की शैक्षिक प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। भारत की एक बड़ी आबादी को उच्च गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य विभिन्न आयोगों, नीतियों, अधिनियमों तथा कानूनों के कारण संभव हो पाया है। भारतीय संविधान ने सभी भारतीयों को शिक्षा का जन्मजात अधिकार प्रदान किया है। *निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* यह सुनिश्चित करता है कि राज्य 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान करें।

**असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226 007
** पीएच.डी. शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226 007

भारत द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एस.डी.जी. 4) में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार, विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करते हुए शैक्षिक परिवेश के वातावरण को समावेशी बनाने की आवश्यकता होगी *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)*। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण पद्धति को प्रस्तुत करती है, जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उनकी आयु के अन्य विद्यार्थियों के साथ नियमित कक्षाओं में एक साथ पढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें दिव्यांग बच्चों को पाठ्यचर्या एवं पाठ्येतर संबंधित सभी गतिविधियों से अवगत कराकर शैक्षिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त पुनरावलोकन (कालक्रमानुसार)

26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, जेंडर तथा जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में छुआछूत (अस्पृश्यता) का अंत करने की बात कही गई है। संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 में कहा गया है "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर कार्य, शिक्षा और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।" प्रारंभ में संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई थी कि "राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रबंध करने का प्रयास करेगा।" वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि "राज्य 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उस प्रकार की नीति से जैसा राज्य विधि द्वारा अवधारित करने, की व्यवस्था करेगा।" संविधान में वर्णित शिक्षा से ये सभी प्रावधान दिव्यांगजनों की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के सुधार में प्रभावी उपाय सिद्ध हो रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–1966) ने यह सुझाव दिया कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का आयोजन केवल मानवीय आधार पर नहीं, बल्कि एकता तथा एकीकरण के आधार पर किया जाना चाहिए। आयोग ने दिव्यांगजनों की शिक्षा से संबंधित अपने सुझाव में कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 1986 तक लगभग 15 प्रतिशत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं विकृत अंगों वाले बच्चों और 5 प्रतिशत बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–1966) की अनुशंसा पर ही सामाजिक न्याय तथा रोजगार मंत्रालय (सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय) भारत सरकार द्वारा सन 1974 में 'इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसएबिल चिल्ड्रन' (आई.ई.डी.सी.) नामक योजना का आरंभ किया गया। कालांतर में यह योजना 'इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी' (आई.ई.सी.वाई.डी.) के नाम से जानी जाती है जिसके अंतर्गत सामान्य तथा दिव्यांग बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया (गंगवार तथा सिंह, 2020)। वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया। केंद्रीय समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 1984 में 4 राष्ट्रीय विकलांग (दिव्यांग) संस्थान– राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज), राष्ट्रीय अस्थि रचना विकलांग संस्थान, कोलकाता (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज), राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई (अलीयावर जंग नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज) तथा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद (नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज) स्थापित किए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा *कार्य-योजना 1992* में यह स्पष्ट किया गया कि सभी सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बिना किसी भेदभाव के गतिविषयक दिव्यांग तथा प्रमस्तिष्क घात दिव्यांगता वाले बच्चों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाए।

सन 1987 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनीसेफ) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (रा.शै.अ.प्र.प.) के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए 'एकीकृत शिक्षा परियोजना' का आरंभ किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 'इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटी' (आई.ई.सी.वाई.डी.) के कार्यान्वयन को मजबूत करना था।

वर्ष 1986 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई, जिसे 31 जुलाई, 1993 से प्रभावी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। यह परिषद उन संस्थाओं तथा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है, जो दिव्यांग विद्यार्थियों के पुनर्वास से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करते हैं (आर.सी.आई., 2015)। सन 1994 में भारत सरकार द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.डी.) को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर नामांकित बच्चों के अपव्यय को कम करना तथा उनकी उपलब्धि स्तर को बढ़ाना था और अन्य सभी बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था (जुलका, 2007)।

सन 1995 में भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नि:शक्तजन अधिनियम 1995 पारित किया। इस अधिनियम में 7 तरह की दिव्यांगताओं को वर्गीकृत किया गया। इसके अध्याय 5 की धारा 26 में नि:शक्त बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है (कोहमा, 2012)।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 (राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्का घात, मानसिक मंदता तथा बहुनि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास 1999) का उद्देश्य नि:शक्त व्यक्तियों के परिवारों को सशक्त बनाना है, ताकि वे नि:शक्त व्यक्तियों को परिवार में ही रख सकें।

राष्ट्रीय विकलांगजन नीति (2006) में समाज में ऐसा वातावरण सृजित करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें नि:शक्त व्यक्तियों को शिक्षा, सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि में सुधार करने तथा इससे संबंधित सहायता प्रदान करने की बात कही गई। इसके अतिरिक्त इस दस्तावेज में नि:शक्त व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास तथा नि:शक्त बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) अपनाया, जिसको दिव्यांगता समझौता भी कहते हैं। भारत सहित कई अन्य देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर अपने देश के सभी दिव्यांगजनों तक मानवाधिकारों को पहुँचाने की बात कही।

वर्ष 2016 में भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता को इक्कीस श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अध्याय 3 (शिक्षा) में दिव्यांगजनों की शिक्षा हेतु कई प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। इस अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 16 में यह स्पष्ट किया गया है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा वित्तपोषित व मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएँ दिव्यांग बालकों के लिए सम्मिलित (समावेशी) शिक्षा प्रदान करें। धारा 17 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि धारा 16 के प्रावधानों अर्थात सम्मिलित शिक्षा को संवर्धित करने और सुगम बनाने के लिए विनिर्दिष्ट उपाय करना अनिवार्य है। धारा 18 में यह स्पष्ट किया गया है कि समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में दिव्यांगजनों की भागीदारी को संवर्धित, संरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के उपाय करेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 में भी इस बात पर बल दिया गया है कि स्थापना का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों का अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के किसी अधिकार और उसको प्राप्त होने वाले किसी लाभ से इनकार करने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम के अध्याय 7 में दिव्यांगता प्रमाणपत्र की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है।

शोध लेख का उद्देश्य तथा अध्ययन प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध लेख का मुख्य उद्देश्य *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का विषयवस्तु विश्लेषण कर उन बिंदुओं का अन्वेषण करके व्याख्या करना था, जिसमें समावेशी शिक्षा का उल्लेख किया गया

है। प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा अध्ययन प्रक्रिया के रूप में विषयवस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया गया। विषयवस्तु विश्लेषण को दस्तावेज-विश्लेषण भी कहा जाता है। इस विधि में शोधकर्ता, शोध कार्य में चयनित दस्तावेज का शोध के उद्देश्य/उद्देश्यों के अनुरूप शब्दों, थीमों, एकांशों, स्वलक्षण दिक्काल मापदंड के आधार पर क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करके निष्कर्ष तक पहुँचता है। प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* दस्तावेज का 'समावेशी शिक्षा' थीम के अनुरूप विषयवस्तु विश्लेषण करके उन बिंदुओं को अन्वेषित और निर्वाचित करने का प्रयास किया गया, जिनका संबंध समावेशी शिक्षा से है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा

वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 34 साल बाद कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020* को प्रस्तावित किया गया है। इस नीति को चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। यह नीति विद्यालयी शिक्षा की परिभाषा में 'निष्पक्ष एवं समावेशी शिक्षा' संप्रत्यय को प्रमुख स्थान देती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित बिंदुओं का भी अनुपालन करती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की प्रस्तावना में कहा गया है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। इस नीति के आधार सिद्धांतों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अध्यापकों तथा अभिभावकों को प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान तथा उनके विकास के प्रति संवेदनशील बनना होगा, ताकि उनके सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दिया जा सके। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता तथा समावेशन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही अध्ययन-अध्यापन कार्य में, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन तथा प्रबंधन में तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर भी बल दिया जाना चाहिए।

शोध लेख का उद्देश्य तथा अध्ययन प्रक्रिया

प्रस्तुत शोध लेख का मुख्य उद्देश्य *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का विषयवस्तु विश्लेषण कर उन बिंदुओं का अन्वेषण करके व्याख्या करना था, जिसमें समावेशी शिक्षा का उल्लेख किया गया है।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत लेख के निष्कर्ष विद्यालयी शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इस लेख के अध्ययन उपरांत विद्यालयी अध्यापक अपने विद्यालय तथा कक्षागत अधिगम वातावरण को

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समावेशी शिक्षा संबंधी सुझावों के अनुरूप विकसित करने हेतु अभिप्रेरित होकर अधिगम उद्देश्य, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधियों तथा आकलन प्रविधियों के नियोजन एवं अनुप्रयोग में इन सुझावों का ध्यान रख सकेंगे और दिव्यांग विद्यार्थियों को कक्षा में जोड़ने के लिए कुछ सहायक उपकरण तथा उपयुक्त तकनीक आधारित सामग्री का उपयोग करेंगे।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी का स्थान प्राथमिक होता है। विद्यालय प्रबंधन तथा प्रधानाचार्यों द्वारा इस लेख में वर्णित *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के समावेशी शिक्षा से संबंधित बिंदुओं के अनुरूप विद्यालय के भौतिक तथा अधिगम वातावरण का निर्माण करने से दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमित विद्यालयों में शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

इस लेख के माध्यम से पाठ्यपुस्तक लेखक भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के समावेशी शिक्षा संबंधी प्रावधानों से परिचित होकर पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु में विद्यार्थियों की आवश्यकता, रचनावादी अधिगम इत्यादि को स्थान देंगे। ये अपनी पुस्तकों में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से विशिष्ट अधिगम सामग्री को स्थान देंगे। इनका यह प्रयास दिव्यांग विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक की सामग्री से स्वयं को जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा।

इस लेख के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के अभिभावक गृह-आधारित शिक्षा (होम स्कूलिंग) के विकल्प से परिचित होकर अपने पाल्यों के लिए इन वैकल्पिक अवसरों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में उनकी सहायता करने में सक्षम हो सकेंगे।

अध्ययन के निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध लेख में निर्धारित उद्देश्य के अनुसार, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* प्रतिवेदन का विषयवस्तु विश्लेषण करने के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए—

विद्यालयी शिक्षा के मूल संप्रत्यय का पुनर्परिभाषीकरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभाग 3 'ड्रापआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना' के बिंदु 3.3 में इस बात का उल्लेख है कि विद्यालयों में सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों को राज्य और जिला स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण से जुड़ी सिविल सोसाइटी संगठन या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के प्रशिक्षित और योग्य कार्यकर्ताओं को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा अपनाए गए विभिन्न नवीन तंत्रों के माध्यम से जोड़ना चाहिए।

इस नीति के अनुभाग 6 'समतामूलक और समावेशी शिक्षा— सभी के लिए अधिगम' के बिंदु 6.2.5 में यह स्पष्ट किया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चे के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

इसी अनुभाग के बिंदु 6.10 में इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) में दिव्यांग बच्चों को शामिल करना तथा उनकी समान भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस नीति की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

परंपरागत विद्यालयों का परिष्कृत ढाँचा— विशेष शिक्षा क्षेत्र अथवा विद्यालय परिसर/स्कूल कॉम्प्लेक्स

दिव्यांगों, जेंडर अस्मिता, सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थानों सहित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित आबादी के लिए शैक्षिक अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुभाग 6 के बिंदु 6.6 द्वारा विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया है। विशेष शिक्षा क्षेत्र की पहचान करने के लिए इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा शैक्षिक रूप से चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि से आता है, उन्हें 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' के रूप में नामित किया जाए।

इसी अनुभाग के बिंदु 6.11 में यह स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को ध्यान में रखते हुए विद्यालय तथा विद्यालय परिसर की वित्तीय मदद हेतु सुस्पष्ट व कुशल प्रावधान किए जाएँ। साथ ही विद्यालय तथा विद्यालय परिसरों में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए तथा गंभीर अथवा एक से अधिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए उनके विद्यालयों में एक संसाधन केंद्र भी स्थापित किया जाए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु 6.18 में 'सिंगल विंडो सिस्टम' की सहायता से बिना किसी असुविधा और भेदभाव के सहज रूप से आवेदन हेतु सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) के विद्यार्थियों को लक्षित विद्यार्थीवृत्तियाँ तथा अवसरों की पहुँच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया है। ये विद्यार्थीवृत्तियाँ किसी एक प्लेटफॉर्म, एजेंसी या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत की जाएँगी।

इस नीति के अनुभाग 7 'स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस' में स्पष्ट किया गया है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालयों में सहयोग और संबलन, स्कूली व्यवस्था की गवर्नेंस में सुधार, पर्याप्त संसाधनों की सुनिश्चितता, अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के स्कूल से अलगाव को दूर करने जैसे उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2025 तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर का विकास करेंगे जिसके माध्यम से दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग, विविध विषय पर आधारित विद्यार्थी क्लब, शैक्षिक तकनीकी का अधिकाधिक समावेशन सुनिश्चित हो सकेगा।

विद्यालयी पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र, सहायक उपकरण एवं तकनीकों का पुनर्स्वरूपण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभाग 4 'स्कूलों में पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्र— अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए' में विद्यालयी शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे को 5+3+3+4 के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इस अनुभाग के बिंदु 4.30 में विद्यालयी शिक्षा के लिए एक नई और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की

रूपरेखा (एन.सी.एफ.-एस.ई.) विकसित करने की अनुशंसा की गई है, जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने, रचनावादी अधिगम, विद्यार्थियों की आवश्यकता इत्यादि पर ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभाग 6 के बिंदु 6.11 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि विद्यालय परिवेश में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप मदद सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि कक्षा-कक्ष में उनकी पूर्ण प्रतिभागिता व समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। इस बिंदु में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को कक्षा में जोड़ने के लिए कुछ सहायक उपकरण, उपयुक्त तकनीक आधारित उपकरण, भाषा उपयुक्त शिक्षण सामग्री, (जैसे— बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्यपुस्तकें) आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएँ। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) भारतीय संकेत भाषा सिखाने के लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर गुणवत्ता वाले माड्यूल विकसित करेगा, जिससे दिव्यांग बच्चों का सामान्य विद्यालयों में समावेशन किया जा सके।

शिक्षक-समावेशी शिक्षा का एक सचेत माध्यम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी स्तर के लिए अध्यापक तैयारी हेतु सुधार कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। अध्यापक तैयारी के कार्यक्रमों में दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षणशास्त्र के साथ-साथ संवेदीकरण, समय से पहले हस्तक्षेप तथा समर्थन जैसी प्रविधियाँ शामिल की गई हैं।

अनुभाग 5 'शिक्षक' के बिंदु 5.21 में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालयी शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट अध्यापकों की आवश्यकता है, जो कि दिव्यांग तथा सीखने में कठिनाई अनुभव करने वाले बच्चों के लिए अधिगम का समावेशी वातावरण विकसित करने के सक्षम हो सकें। इसके लिए अध्यापकों को सेवाकालीन और सेवा-पूर्व माध्यम में, पूर्णकालिक या अंशकालिक या मिश्रित पाठ्यक्रम बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध करवाए जाएँगे। योग्य विशिष्ट अध्यापकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यचर्या में व्यापक तालमेल भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसी अनुभाग के बिंदु 5.28 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.-एस.ई.) तैयार करने की अनुशंसा भी की गई है।

साकल्य तथा समग्र आकलन का नूतन स्वरूप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुभाग 4 में 'विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल-चूल परिवर्तन' के बिंदु 4.34 में विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों के ज्ञान के नियमित रचनात्मक आकलन पर बल दिया गया है। बिंदु 4.35 में राष्ट्रीय आकलन केंद्र द्वारा विद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन संबंधी 360 डिग्री

बहुआयामी प्रगति कार्ड देने की बात की गई है, जिसमें स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य, क्विज, रोल-प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शामिल होगा। ये सभी नवीन अभ्यास दिव्यांग विद्यार्थियों के ज्ञान के सही-सही आकलन में सहायक होंगे। भारतीय पुनर्वास परिषद तथा प्रथम ने भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा तथा उनके ज्ञान के आकलन के लिए *'करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस'* के भाग चार 'पहल', में जन्म से तीन वर्ष तथा भाग चार एवं पाँच 'निपुण' में तीन वर्ष से छह वर्ष तक के बालकों के अधिगम तथा उसके आकलन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन किया है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा में इन प्रभावी अधिगम आकलन प्रविधियों का उपयोग किया जा सकता है।

इसी अनुभाग के बिंदु 4.41 में मानक निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। यह निकाय भारत के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयी बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशानिर्देश बनाने जैसे कुछ मूल उद्देश्यों को पूरा करने के साथ-साथ स्टेट अचीवमेंट सर्वे (एस.ए.एस.) का मार्गदर्शन और नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) का संचालन करेगा।

अनुभाग 6 के बिंदु 6.13 में यह स्पष्ट किया गया है कि परख नामक प्रस्तावित नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र सहित मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसियाँ बुनियादी स्तर से लेकर उच्चतर शिक्षा (प्रवेश परीक्षाओं सहित) के स्तर को इस तरह से मूल्यांकन के संचालन के लिए उपयुक्त तरीकों की अनुशंसा करेगी, जिससे सीखने की अक्षमता वाले सभी बच्चों के लिए समान पहुँच और अवसर सुनिश्चित किया जा सके।

होम स्कूलिंग— एक नवाचारी समावेशी प्रतिमान

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभाग 6 के बिंदु 6.12 में इस बात का उल्लेख है कि आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 की अनुशंसा के आधार पर मूल दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए नियमित या विशेष विद्यालयी शिक्षा का विकल्प उपलब्ध रहेगा, जबकि गंभीर अथवा एक से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्यालय में स्थापित संसाधन केंद्र उनको घर पर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाएँगे। विद्यालय जाने में असमर्थ गंभीर और गहन दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए गृह-आधारित शिक्षा (होम स्कूलिंग) के रूप में एक विकल्प उपलब्ध रहेगा। आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम 2016 के प्रस्तावों का उपयोग होम स्कूलिंग के लिए सभी मानकों और आवश्यकताओं को विकसित करने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माता-पिता या देखरेख करने वालों की मदद करने और उन्हें अपने बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा और आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाएँगे।

उपसंहार

किसी भी राष्ट्र में मानवीय संसाधन के रूप में दिव्यांगजनों की महत्ता सामान्य लोगों के समान है। दिव्यांगजनों की उन्नति और साकल्य विकास को राष्ट्र के विकास के एक निकष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के पुनरावलोकन के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि यह नीति प्रत्येक शैक्षिक स्तर की संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष पर सुझाव एवं विचार प्रस्तुत करती है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के समावेशी शिक्षा संबंधी सुझावों को विद्यालयी स्तर की शिक्षा व्यवस्था में लागू करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार संभव होगा, जिसके परिणामस्वरूप सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही ये सभी सुझाव विद्यालयी अधिगम पारिस्थितिकी को और अधिक समावेशी बनाने में योगदान देंगे, जिससे समावेशी शिक्षा की सैद्धांतिकी तथा व्यावहारिकी के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।

संदर्भ

आर.पी.डब्ल्यू.डी. 2016. disabilityaffairs.gov.in>uploadfiles>files से प्राप्त।

आर.पी.डब्लू.डी. एक्ट. 2016. http://www.rehabcouncil.nic.in>writereaddta से प्राप्त।

कोहमा, ए. 2012. *इन्क्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया. ए कंट्री इन ट्राजीसन (बैचलर थीसिस)*. यूनिवर्सिटी ऑफ औरिगन, औरिगन।

गंगवार, एस. तथा एस.पी. सिंह. भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षा— स्थिति, चुनौतियाँ एवं समाधान. *वॉइसेस ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स*. VIII (I), पृ.सं. 146–156.

जुलका, ए. 2007. *मीटिंग स्पेशल नीड्स इन स्कूल*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली.

नेशनल ट्रस्ट फॉर दी वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटरडेशन एंड मल्टीपल डिसएबिलिटिज disabilityaffairs.gov.in>upload files>files से प्राप्त।

नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज. 2006. www.mospi.gov.in>files>social-statistics से प्राप्त।

पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. 1995. niepmd.tn.nic.in>documents>PWDACT से प्राप्त।

रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. 2015. *एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ दी आर.सी.आई.* disabilityaffairs.gov.in>uploadfiles>files से प्राप्त।

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in) से प्राप्त।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय. 2017. *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम*. 2017. http://www.ccdisabilities.nic.in/acts-guideline से प्राप्त।